E-mail: registrar@csjmu.ac.in

☎🖷: 0512-2246609
☎🖷: 0512-2246608

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./1178/2026 दिनांक :10/09/2026

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

1. **प्राचार्य/प्राचार्या,**
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. **निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी,**
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषयः रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन हेतु मेधावी/निराश्रित/दिव्यांग/शहीद परिवारों के मेधावी छात्राओं का डाटा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 10.09.2026 को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना से सम्बन्धित विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) के द्वारा ऑन–लाइन बैठक में यह सूचित किया गया है कि शासनादेश के अनुसार **मेधावी/निराश्रित/दिव्यांग/शहीद परिवारों की मेधावी अर्ह** छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, प्रपत्रों का वेरीफिकेशन तथा आधार ओटीपी सत्यापन का कार्य हेतु संचालित शासन का पोर्टल दिनांक 13.09.2026 को पूर्णतया बन्द कर दिया जायेगा।

सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या एवं विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक/प्रभारी/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना से सम्बन्धित **मेधावी/निराश्रित/दिव्यांग/शहीद परिवारों के मेधावी अर्ह** छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, प्रपत्रों का वेरीफिकेशन तथा आधार ओटीपी सत्यापन का कार्य दिनांक 12.09.2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ले। दिनांक 12.09.2026 के पश्चात उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक 13.09.2026 को विश्वविद्यालय/नोडल अधिकारी द्वारा महाविद्यालयों के उक्त योजना से सम्बन्धित अर्ह छात्राओं का डाटा सत्यापन कर अन्तिम रूप से परीक्षण कर पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए शासन को अवगत कराया जा सके।

बैठक में यह भी निर्देश दिये गये है कि रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना से सम्बन्धित महाविद्यालयों/छात्राओं द्वारा जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये है यदि उनमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है। ऐसे प्रकरणों में दण्डात्मक एवं वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय एवं छात्राओं का होगा।

अतः सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या एवं विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक/प्रभारी/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रो0 नीरज कुमार सिंह, नोडल अधिकारी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वैय0 सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. प्रभारी मीडिया, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
5. पी0एम0यू0 सेल/प्रभारी, कोडिंग।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक